

मध्य प्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 28/02/2017

आदेश

क्रमांक-एफ-1-01/2017/स्था-19: राज्य शासन एतद् द्वारा म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर, मध्य प्रदेश की अनुशंसा अनुसार निम्न लिखित चयनित अभ्यर्थीगण को म.प्र.लोक निर्माण अभियांत्रिकी सेवा (राजपत्रित वर्ग-2 कार्यपालिक) में सहायक यंत्री (विद्युत) के पद पर वेतनमान पी.बी.-3 15600-39100+ग्रेड पे 5400 एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित भत्तों पर, अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त करते हुए उन्हें उनके नाम के सम्मुख कालम नं. 4 में अंकित स्थान पर पदस्थ करता है-


क्र.	लोसेआ की चयन सूची में अंकित स.क्र.	नाम	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4
1.	1	हिमांशु उपाध्याय	परियोजना कियान्वयन इकाई, श्योपुर
2	2	स्वतंत्र कुमार जैन	परियोजना कियान्वयन इकाई, नौगांव, छतरपुर
3	3	सुश्री आयुषी सचान	परियोजना कियान्वयन इकाई, दतिया
4	4	अंकित कुमार गौतम	परियोजना कियान्वयन इकाई, डिंडौरी
5	5	विपिन कुमार पांडेय	परियोजना कियान्वयन इकाई, सिंगरौली
6	6	श्री अजीत कुमार सिंह	परियोजना कियान्वयन इकाई, अनूपपुर
7	7	अनूप शुक्ला	परियोजना कियान्वयन इकाई, मंडला
8	9	भास्कर झा	परियोजना कियान्वयन इकाई, अलीराजपुर
9	10	सुश्री मौसम जैन	वि.यां. उपसंभाग, विदिशा
10	11	सुश्री मीनाक्षी सिंह बघेल	कार्या. परियोजना संचालक, पीआईयू, भोपाल
11	12	अमित शर्मा	वि.यां.उपसंभाग, भिंड
12	13	सुश्री दीपिका तिवारी	वि.यां.उपसंभाग, कटनी

- (1) चयनित प्रत्याशियों को आदेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।



- (2) मध्यप्रदेश शासकीय सेवक(अस्थायी/अर्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाये किसी भी समय, किसी भी एक पक्ष द्वारा, एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन तथा भत्तों के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
- (3) चयनित प्रत्याशी के जाति प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रतिकूल स्थिति ज्ञात होने पर सेवा समाप्ति की कार्यवाही नियमानुसार की जा सकेगी।
- (4) नवनियुक्त अधिकारी यदि पूर्व में शासकीय, अर्धशासकीय सेवा में कार्यरत है तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच एवं अमांग प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।
- (5) नवनियुक्त अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा किये गये चयन के क्रम में निर्धारित होगी।
- (6) यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी। (साप्रवि ज्ञाप क. एफ सी 3-15/2012/1/3 दिनांक 24.11.2012)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
  
(सुनील मिश्रा)  
अवर सचिव

म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग  
भोपाल, दिनांक 28/02/2017


पृष्ठांकन क्रमांक-एफ-1-01/2017/स्था-19  
प्रतिलिपि:-


1. सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेन्सी ऐरिया, डेलीकालेज रोड, इन्दौर की ओर उनके ज्ञाप क्रमांक 14901/54/2016/चयन दिनांक 2.1.2017 के संदर्भ में।
  2. विशेष सहायक, मा. मंत्री, लोक निर्माण विभाग, म.प्र.भोपाल
  3. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल
  4. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
  5. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण मध्य प्रदेश, भोपाल।
- कृपया नव नियुक्त यंत्रीगण के प्रशिक्षण के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करें।

6. परियोजना संचालक, पीआईयू, लोक निर्माण, म.प्र.निर्माण भवन, भोपाल
  7. मुख्य अभियंता,-----
  8. अतिरिक्त परियोजना संचालक, पीआईयू-----
  9. कार्यपालन यंत्री,-----
  10. संभागीय परियोजना यंत्री, पीआईयू-----
  11. प्रभारी, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ मंत्रालय, भोपाल
  12. संबंधित श्री .....
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
28/02/17  
अवर सचिव

301

  
SE (A)  
2/3/17

  
03/03/17

24/398  
3/3/17